# फर्द अहकाम

ललित किशोर वगै0 बनाम कल्याण वगै0

संख्याः 139 /2021

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| .11.2021 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम चक गेटोर, पटवार हल्का श्योपुर, भु0अ0नि0 क्षेत्र सांगानेर, तह0 सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 560/91 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1500 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 22.12.2021 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |
| 22/12/21 | पत्रावली [illegible] हुई। पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अत: पत्रावली [illegible] सार दिनांक 3/3/22 को [illegible] | |
| 3/3/22 | पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/5/22 को पेश हो। | |
| 25/5/22 | पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य कार्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/[illegible]/22 को पेश हों। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:51 IST
Reason: SelfAttested

20/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई - उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने प्रार्थी का प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्रा० से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:51 IST
Reason: SelfAttested

ul 26, 2022, 18:43